उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

दिनांक 11.06.2015 को उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कमिटि (CSR) की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति

1– डा0 अमिताभ कौशल, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।
2– श्री बिनोद कुमार, उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेरपुर।
3– श्री सुनील कुमार, अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर – विशेष आमंत्रित सदस्य ।
4– श्री परमेश्वर भगत, परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
5– श्री एस0 के0 झा, असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम।
6– श्रीमती रंजना मिश्रा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
7– श्री मुकेश कुमार सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
8– श्री इन्दुभूषण सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
9– मो0 बी0 अबरार, जिला योजना पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
10–श्री आशीष कुमार सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
11–मो0 नजरे इमाम, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, आदित्यपुर।
12–श्री सुरेश प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, जमशेदपुर।
13–अध्यक्ष, सिंहभूम ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर।
14–प्रतिनिधि, यू0 सी0 आई0 एल0, जादूगोड़ा।
15–प्रतिनिधि, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, घाटशिला।
16–प्रतिनिधि, टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर।
17–प्रतिनिधि, टाटा मोटर्स, जमशेदपुर।
18–प्रतिनिधि, टाटा पावर, जमशेदपुर।
19–प्रतिनिधि, लाफार्ज सिमेंट, जमशेदपुर।
20–प्रतिलिपि, टिनप्लेट लि0, जमशेदपुर।
21–प्रतिलिपि, जुस्को लिमिटेड, जमशेदपुर।

कार्यवाही :

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई । बताया गया कि सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–88/सी0, दिनांक 29.05.2015 के आलोक में जिला स्तर पर CSR Committee का गठन किया गया है।

2– बैठक में बताया गया कि Companies Act की धारा–135 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी, जिसका किसी वित्तीय वर्ष में Networth 500 करोड़ या अधिक अथवा Turn Over 1000

करोड़ या अधिक अथवा Net Profit 5 करोड़ या अधिक है, उस कम्पनी को Corporate Social Responsibility Committee of the Board गठित करना है तथा CSR & Sustainability Activities पर अपने Profit का 2 प्रतिशत व्यय करना है।

3– CSR के तहत विभिन्न कम्पनियों के द्वारा ऐसी Activities को लिया जाय, जो जन उपयोगी और जिसका gestation period कम और proper public visibility हो ।

4– उद्योग विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना में कुछ Activities को चिन्हित किया गया है जिनमें निम्नांकित महत्वपूर्ण है :–

क– आंगनबाड़ी केन्द्र में शौचालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्र की मरम्मति, आंगनबाड़ी केन्द्र में सामग्री की आपूर्ति।

ख– स्वास्थ्य उप केन्द्र की मरम्मति, दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य जाँच एवं टीकाकरण, Medical equipment की आपूर्ति।

ग– KGBV (कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय) की भवन मरम्मति एवं आवासीय विद्यालय के उपयोगी विभिन्न सामग्री की आपूर्ति।

घ– सरकारी स्कूलों के भवन की मरम्मति, उपस्कर आपूर्ति एवं शौचालय निर्माण।

ड़– सामुदायिक जल वितरण योजना, प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल शोधन संयंत्र की स्थापना करना।

5– सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची के निदेशानुसार इस वित्तीय वर्ष में निम्नांकित Activities को प्राथमिकता देना है :–

i– सरकारी विद्यालयों में बेंच–डेस्क की आपूर्ति।

ii– सरकारी विद्यालयों में विद्युतीकरण।

iii– आई0 टी0 आई0 का संचालन ।

iv– Mobile Van के जरिये Health Care Camps का आयोजन ।

v– मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान देना।

6– बताया गया कि इन Activities को लेने के लिए कोई geographical restrictions मान्य नहीं है तथा ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाय, जिसमें छात्र–छात्राओं की संख्या अधिक हो और वे दुरस्थ इलाके में अवस्थित हो।

7– टाटा पावर के प्रतिनिधि के द्वारा कतिपय विद्यालयों में विद्युतीकरण करने के लिए इच्छा व्यक्त किया गया। इसपर जिला शिक्षा अधीक्षक को 10 से 12 स्कूल, जिसमें छात्रों की संख्या अधिक हो, उसकी सूची टाटा पावर को उपलब्ध कराने के लिए निदेश दिया गया।

8– लाफार्ज कम्पनी के प्रतिनिधि के द्वारा Mobile Dispensary और स्कूलों में कम्प्यूटर आपूर्ति की इच्छा व्यक्त की गई, जिसपर उन्हें स्कूलों में बेंच–डेस्क आपूर्ति करने के लिए निदेश दिया गया।

9– सभी कम्पनी के प्रतिनिधियों से वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए उनके कम्पनी के Annual CSR Work Plan को 30 जून, 2015 तक जिला कार्यालय में निश्चित रूप से समर्पित करने के लिए निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

9/7/15

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

ज्ञापांक 1400/ जमशेदपुर, दिनांक 09 वीं जुलाई, 2015

प्रतिलिपि :– सभी सदस्य, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9/7/15

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

ज्ञापांक 1400/ जमशेदपुर, दिनांक 09 वीं जुलाई, 2015.

प्रतिलिपि :– सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, रॉची को उनके पत्रांक–88/सी0, दिनांक 29.05.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

9/7/15

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।